

अनुबंध 8.2

राज्य सरकारों के बजट परिचालन -मुख्य शीर्ष

राजस्व लेखा (ए और बी)

(ए) राजस्व प्राप्तियाँ (i+ii)

- (i) कर राजस्व (क+ख)
 - (क) राज्यों का अपना कर राजस्व
 - (ख) केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा
- (ii) करेतर राजस्व
 - (क) राज्यों का अपना करेतर राजस्व
 - जिसमें से
 - ब्याज प्राप्तियाँ
 - (ख) केंद्र सरकार से अनुदान (i+ii)
 - (i) सांविधिक अनुदान
 - (ii) गैर सांविधिक अनुदान

(बी) राजस्व व्यय

- I. विकासात्मक व्यय
 - (क) आर्थिक सेवाएँ
 - (ख) सामाजिक सेवाएँ
- II. गैर विकासात्मक सेवाएँ (सामान्य सेवाएँ)
 - (क) राज्य के अंग
 - (ख) राजकोषीय सेवाएँ
 - (ग) ब्याज भुगतान
 - जिसमें से
 - केंद्र से ऋण
 - बाजार उधार
 - (घ) प्रशासनिक सेवाएँ
 - (ङ) पेंशन
 - (च) विविध सामान्य सेवाएँ
 - (III) सहायता अनुदान और अंशदान
 - (IV) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन
 - (V) वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि

पूँजीगत लेखा (I और II)

I. पूँजीगत प्राप्तियाँ (क से ठ)

- (क) आंतरिक कर्ज
 - जिसमें से
 - बाजार ऋण
- (ख) केंद्र से ऋण एवं अग्रिम
- (ग) ऋण एवं अग्रिमों की वसूली
- (घ) अंतर-राज्य निपटान
- (ङ) आकस्मिकता निधि
- (च) लघु बचत, भविष्य निधि, आदि
- (छ) आरक्षित निधियाँ
- (ज) जमाराशियाँ और अग्रिम
- (झ) उचंत और विविध
- (ञ) आकस्मिकता निधि में विनियोजन
- (ट) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
 - जिनमें से
 - विनिवेश
 - (ठ) विप्रेषण

II. पूँजीगत संवितरण

- (क) पूँजीगत परिव्यय
- (ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम
- (ग) आंतरिक कर्ज का उन्मोचन
 - जिसमें से
 - बाजार ऋण का उन्मोचन
- (घ) केंद्र को ऋणों की चुकौती
- (ङ) अंतर-राज्य निपटान
- (च) आकस्मिकता निधि
- (छ) लघु बचत, भविष्य निधियाँ, आदि
- (ज) आरक्षित निधियाँ
- (झ) जमाराशियाँ और अग्रिम
- (ञ) उचंत और विविध
- (ट) आकस्मिकता निधि में विनियोजन
- (ठ) विप्रेषण